न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–11/2024 दायर दिनांक– 9.7.2024

GCMS NO:- 2024/129 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. मु0 बजरंगी पत्नी स्व0 सूरजमल जाति मीणा नि0 गुढागोपालजी तहसील नैनवॉ।
2. रामसिंह आ0 सुरजमल जाति मीणा नि0 गुढागोपालजी तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. चौथमल आ0 बजरंगा जाति बलाई नि0 गुढागोपालजी तहसील नैनवॉ।
2. प्रभूलाल आ0 बजरंगा जाति बलाई नि0 गुढागोपालजी तहसील नैनवॉ।
3. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा देई तहसील नैनवॉ।
4. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गुढागोपालजी प.म. लाम्बाबरडा की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 175 खसरा नम्बर 622 रकबा 0.9708 हैक्टयर, खसरा नम्बर 766/622 रकबा 0.7766 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.7474 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार काबिज रहकर फसल बोते एवं काटते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के पूर्वी ओर (गुढागोपालजी से नन्दगांव जैतपुर जाने वाले रास्ते की भूमि) मेड को तोडकर अवैघ व अनाधिकृत रूप से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने अपने खाते की उक्त भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ के आदेशानुसार करवाया जिसमे प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि की सीमा की संपूर्ण जानकारी है तथा मौके पर पटवारी हल्का गुढागोपालजी द्वारा सीमा चिन्हित की गयी लेकिन अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 ताकत के बल पर प्रार्थीगण के खाते की भूमि की सीमा को मिटाकर मेड तोडकर भूमि के अन्दर प्रवेश करते चले आ रहे है तथा भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 को प्रार्थीगण के खाते की भूमि की सीमा मिटाकर भूमि मे प्रवेश करने का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है।

यह कि दिनांक 28.6.2024 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 हाथों मे लकडिया कुल्हाडी आदि लेकर प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर आ गये तथा आते ही प्रार्थीगण के खाते की भूमि की सीमा को नष्ट भ्रष्ट करने लग गए तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 का विरोध किया। इतने मे ही अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 कहने लगे कि हम तुम्हारे खाते की भूमि मे घुस कर अवैघ व अनाधिकृत रूप से कब्जा करके रहेंगे। हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता। अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 लगातार प्रार्थीगण के खेत की सीमा को नष्ट कर कब्जा करने पर आमादा है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि यदि प्रार्थीगण के खाते की उक्त भूमि की जीपीएस नाम से पत्थरगढी कर सीमा निर्धारित नही की गयी तो अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 व उनके परिवारजन जबरन प्रार्थीगण के खाते की भूमि की संपूर्ण सीमा को नष्ट भ्रष्ट कर भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगे। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे नकल जमावन्दी, नक्शा, सीमाज्ञान मौका पर्चा पत्र की प्रति आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमे बताया कि मौके पर प्रार्थीगण का उक्त भूमि मे से लगभग 7 बीघा भूमि पर कब्जा है। मौके पर उपस्थित प्रार्थी द्वारा बताया

गया कि उसकी शेष भूमि चौथमल पि. बजरंगा जाति बलाई के खेतों मे दबी हुई है अतः प्रकरण पत्थरगढी का ना होकर कब्जा प्राप्ति का होने से प्रकरण सारहिन होना बताया है।

बहस एकपक्षीय सूनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गुढागोपालजी स्थित प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 622 व 766/622 की जीपीएस नाम से पत्थरगढी कर सीमा निर्धारित नही की गयी तो अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 व उनके परिवारजन जबरन प्रार्थीगण के खाते की भूमि की संपूर्ण सीमा को नष्ट भ्रष्ट कर भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगे अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी जीपीएस नाप से करवायी जावे।

हमनें एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बरान 622 व 766/622 पर संपूर्ण रकबे पर कब्जा प्रार्थीगण का नही पाया जाने से पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायोचित नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ